रहा है । क्या मंत्री महोदय इसके निर्णय के पहले मध्य प्रदेश के उन दो जिलों पर ध्यान देंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यही बात है जो मैं कह रहा था कि झगड़ा ही इस बात का है ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : नर्मदा का सवाल नहीं है, इस देश में जितने भी वाटर डिसप्यूट है वह ट्राइब्यूनल पर छोड़ दिये गये है, इससे काम नहीं चलेगा । आपको मालूम है कि ट्राइब्यूनल में 20 साल से प्रोसीडिंग्स चल रही है, जिस से देश को बहुत नुकसान हुआ है । तो मैं जानना चाहता हू कि क्या मंत्री जी जल्दी ही संबंधित मुख्य मंत्रियों को बुलाकर, जैसे माननीय जगजीवन राम जी ने बुलाकर झगड़े सैटिल करने की कोशिश की, वैसे ही आप करने जा रहे है ? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोसीडिंग्स 100 साल तक चलती रहेंगी ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जो डिसप्यूट्स ट्राइब्यूनल के सामने नहीं हैं उनको हम ऐसे सैटिल करने की कोशिश कर रहे हैं । डिसप्यूट्स के लिये मैं ने चीफ मिनिस्टर्स को लिखा है और उनसे मिलूंगा और मिल कर सैटिल करने की कोशिश करूंगा ।

श्री शरद यादव : जो नर्मदा योजना का झगड़ा है और उसके बांध की ऊंचाई का जो मसला है इसका बरगी डैम जो जबलपुर के पास है उससे कोई संबंध नहीं है । लेकिन 4, 6 साल से जो सहायता दी जा रही है वह इतनी कम है कि वहां जो अधिकारी बैठे हुए हैं तमाम पैसा खर्चा उन्हीं पर चला जाता है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप उसकी सहायता को बढ़ायेंगे क्या ? और यदि नहीं बढ़ा रहे हैं तो क्या कारण है ? क्योंकि उस डैम का संबंध कतई नहीं है जो नर्मदा का मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में है, उसकी ऊंचाई के साथ इस डैम का कोई संबंध नहीं है । तो मैं चाहूंगा कि डैम बन जाने के बाद, हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई की मामला पड़ा हुआ है जिसकी वजह से अनाज की कमी हर बार होती है, उस के बन जाने के बाद दिक्कतें बहुत कम होंगी । तो मंत्री महोदय बतायेंगे कि आप वित्तीय सहायता को तत्काल बढ़ायेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बरगी के बारे में अलग से सवाल कर दे, मैं सारी सूचना आपको दे दूंगा ।

चौधरी बलबीर सिंह : 70 प्रोजेक्ट जो पड़े हुए हैं उनको ऐक्सपैडाइट करने के लिये मंत्री जी क्या कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें । जो सवाल नर्मदा से संबंधित है उस पर मैंने मध्य प्रदेश और गुजरात से संबंधित लोगों को बुलाया है ।

Setting up of National Commission for Housing Programme

*507. SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether there was a proposal for setting up of a national commission to study various facts of housing policy and programmes;

(b) if so, the stage at which the said proposal is; and

(c) the salient features of the proposal and when a decision is likely to be taken in the matter?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) It has been decided not to pursue the proposal.

(c) Does not arise.

श्री अनन्त दवे : सवाल का जो जवाब दिया गया है उसको देखते हुए मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हू कि जब हाउसिंग प्रौबलम ऐक्यूट है तो प्रोपोजल परसू न करने के क्या कारण हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : यह प्रापोंजल कि नेशनल कमीशन मुकर्रर किया जाय : यह पहली बार जो हाउसिंग मिनिस्टर्स की कानफ्रेंस मई, जून 1974 में मद्रास में हुई उसमें इस सवाल को तय किया गया और कमेन्ड किया गया लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन ने 6 अगस्त 1975 को यह कहा कि हमारे रिसोर्सेज इतने काफी नहीं हैं कि पूरी हाउसिंग पौलिसी लायी जा सके। इसलिये इस हाउसिंग कमीशन की जरूरत नहीं है।

श्री अनन्त दवे : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब नेशनल कमीशन बैठा उसने यह सजेस्ट किया है

The early setting up of a Rural Housing and Development Corporation to intensify housing activities in rural settlements has also been recommended by the conference.

यह कानफ्रेन्स ने रिकमेन्ड किया तो यह क्यों अमल में नहीं आ रहा है जब कि प्रौबलम ऐक्यूट है?

श्री सिकन्दर बख्त : नेशनल कमीशन बना नहीं इसलिये उसके बैठने का सवाल पैदा ही नहीं होता और नेशनल कमीशन क्यों नहीं बना उसकी वजह मैंने दी।

डा० कर्ण सिंह : मंत्री महोदय ने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे इसलिये नेशनल कमीशन नहीं बना। इतने कमीशन रोज बन रहे हैं और यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है हाउसिंग का, सारे देश में विशेष कर गरीबों के लिये काफी महत्वपूर्ण है। तो यह कहना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसोर्सेज नहीं दिये कुछ उचित नहीं मालूम देता। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सवाल हमारे देश में इतना जटिल हो गया है कि जब तक सारे हमारे की राष्ट्रीय साइसदां हैं, जो हमारे स्ट्रकचरल इंजीनियरिंग इस्टीट्यूट्स हैं वह जब तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं करेंगे प्रीफेब्रिकेशन या सेमी प्रीफेब्रिकेशन में, जब तक राष्ट्रीय दृष्टि से इसको नहीं देखेंगे तब कि यह प्रश्न कैसे हल होगा। आपने कहा कि वित्त मन्त्रालय ने पैसा नहीं दिया, तो पचासों कमीशन बठे हैं इस कमीशन के लिये पैसा क्यों नहीं है?

श्री सिकन्दर बख्त : शायद माननीय सदस्य को नेशनल कमीशन न बनने की पूरी हिस्ट्री मालूम नहीं है इसलिये मैं उन्हें बता दू। मद्रास में एक कानफ्रेन्स हुई हाउसिंग मिनिस्टर्स की मई जून 1974 में और उन्होने रिकमेन्ड किया इस किस्म की नेशनल कमीशन बननी चाहिये। कोई कदम अगस्त 1975 तक पिछली गवर्नमेंट ने नहीं उठाया। अगस्त 1975 में फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन ने इस किस्म की तजवीज को रद्द किया दूसरी बार फिर कानफ्रेन्स हुई हाउसिंग मिनिस्टर्स की भोपाल में अक्तूबर, 1975 में। उसके बावजूद भी मिनिस्ट्री ने कोई कदम नहीं उठाया उसके बाद फिर तीसरी कानफ्रेन्स हुई कलकत्ता में दिसम्बर, 1976 में। उसके बावजूद भी मिनिस्ट्री ने कोई कदम नहीं उठाया मोजू I मिनिस्ट्री इस बात पर गौर कर रही है कि क्या इसकी जरूरत है नेशनल कमीशन बने या न बने, या हाउसिंग की जो शार्टेज है उसको बैगेर कमीशन बनाये भी एक हाउसिंग पौलिसी बना कर मिनिस्ट्री के लोगों के जरिये से पूरा किया जा सकता है कि नहीं।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं उन्होने यह तो ठीक बताया कि पिछली सरकार ने हाउसिंग के बारे में कोई कदम नहीं उठाया परन्तु जो मौजूदा सरकार है हिन्दुस्तान में 8 करोड़ मकानों की कमी है जिस के ऊपर कुल मिला कर 33 हजार करोड़ रुपया लगेगा तब कहीं

दूर हो सकती है। उसके अलावा स्लम्स का मामला, झुग्गी झोपड़ियों का मामला, गरीब लोगों के सस्ते हाउसेज का सवाल, इन सारे सवालों पर उनकी मिनिस्ट्री जनता पार्टी के पावर में आने के बाद क्या गौर कर रही है, और उसको वह कैसे हल करना चाहते हैं क्या इसको मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : जो सवाल है इसका तो कोई संबंध नहीं है। लेकिन चूंकि नेशनल कमीशन बने तभी हाउसिंग की प्रोबलम हल हो वह तो बात अलहदा है। सवाल यह है कि उसके मुख्तलिफ कदम उठाये जा रहे हैं और सोचे जा रहे हैं।

श्रीमती मृणाल गोरे : घरों की कितनी कमी है और उसको किस प्रकार से पूरा करें इस पर विचार करने के साथ साथ आज जो रेंट चार्ज करने की सरकार की नीति है वह गलत है। और स्लम्स के लोगों के लिये तथा गरीब लोगों के लिये जो घर बनाये जाते हैं उनका किराया वह नहीं दे पाते हैं। तो इसलिये रेंट कैसे चार्ज किया जाये इसकी पोलिसी के बारे में फिर से विचार करना बहुत ही जरूरी है, और इन सब बातों को देखते हुए नेशनल कमीशन बहुत आवश्यक है। हमें खुशी है कि मंत्री महोदय ने कहा कि हम इस पर फिर से विचार करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इसके बारे में कोई कदम उठाये जायेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : इसका मेन सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मैं इसका जवाब दे सकता हूं बशर्ते कि मेरे सवाल से और सप्लीमैंटरीज पैदा न हों।

डा० कर्ण सिंह : हमें यह शर्त मंजूर नहीं है।

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, the hon. Minister answering this question came out with an answer that three conferences were held in previous Government's time.

चौधरी बलबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि मैं सवाल का जवाब देने को तैयार हूं बशर्ते कि इसमें सप्लीमेन्टरीज और न हों। क्या मिनिस्टर साहब का यह जवाब दुरुस्त है ? इस पर आप अपनी रूलिंग दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Will you please take your seat now? The hon. Minister, replying to something, said that this question does not arise from this; if there is no further supplementary, he can answer that.

चौधरी बलबीर सिंह : इन्होंने कहा है कि मेरे जवाब पर सप्लीमैंटरीज नहीं करेंगे, तो जवाब देने को तैयार हैं। आप रिकार्ड देखिये।

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, the hon. Minister, while replying, had made a statement just now that three Housing Ministers' Conferences were for creating a National Commission for the massive housing programmes. And this is what is needed for our country. The Planning Commission, at that time, had also agreed. Are you now determined to go ahead with this so that there is no paucity of accommodation. Since he made a positive statement while replying to a question, I want to know whether he would accept the proposal for appointing a National Commission for Housing Programmes as this involves a massive programme and whether he would fulfil the construction of houses on a massive scale so that the unemployed engineers of this country can be made use of for this purpose. What is the attitude of the present Government in regard to the appointment of a National Commission? And will you be able to absorb all these unemployed engineers for this programme of housing?

SHRI SIKANDAR BAKHT: The tragedy is that this question relates only to the formation of the National Commission. His next question was: what steps does the present Government propose to take for tackling the present

housing programme. As I said, this question is entirely related to the formation of the National Commission.

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, I seek your protection. The National Housing Commission is with a view to undertaking a massive housing programme in the country. He has not come out with a categorical answer. He just now said that the previous Government has taken a decision in three deliberations with the Planning Commission. I want to know whether you are going to accept that or not and whether you are going to absorb all the unemployed engineers in that massive housing programme; or not.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He wants to know whether you would absorb the unemployed engineers in the country in such a massive housing programme.

SHRI SIKANDAR BAKHT: Yes, Sir. We have got some schemes—quite a number of them. But, they have nothing to do with the appointment of the National Commission. The schemes are: integrated subsidised housing schemes for the industrial workers and economically weaker sections of the community, low income group housing schemes, subsidised housing scheme for the plantation workers, rental housing scheme for the State Government employees, scheme for providing housing sites to the landless section etc., etc.

SHRI BASHIR AHMAD: Sir, whether the hon. Minister is aware that one of the reasons for the acute shortage of houses was that the house construction had been stopped on account of the enforcement of the Urban Land Ceiling Act. What is the Minister going to do to see that the construction of houses may be started early and the act amended.

SHRI SIKANDAR BAKHT: The Ministry is aware of the impediments created by the Urban Land Ceiling Act. We are studying the question as to how we can get the work of construction done.

श्री राम अवधेश सिंह : हाउसिंग में रूरल हाउसिंग और इंडस्ट्रियल हाउसिंग की दो स्कीमें हैं। जो मजदूर टाटानगर और रांची आदि में बड़े बड़े पूंजीपतियों और अरबपतियों के कारखानों में काम करते हैं, उन के लिए तो सरकार घर बनाती है, लेकिन गांवों में जो खेतिहर मजदूर हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, क्या सरकार के विचाराधीन उन एंगरेरियन लेबर के लिए कोई मकान बनाने की योजना है ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह सवाल ओरिजिनल सवाल से तो पैदा नहीं होता है, लेकिन जैसा कि मैं ने कहा है, रूरल हाउसिंग का प्रोग्राम भी है और उस पर अमल किया जा रहा है।

Allocation for Major or Minor Fishing Harbours in Andhra Pradesh

*508. SHRI DRONAMARAJU SATYANARAYANA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken regarding the allocation for major or minor fishing harbours in Andhra Pradesh;

(b) if so, the facts thereof and when it was taken; and

(c) if not, the reasons for delay and when it is likely to be taken?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). A statement is placed on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (c). According to the 'Draft Fifth Plan 1974—79' it was envisaged that besides a fishing harbour at Visakhapatnam major port, fishing harbours would be developed at minor